ग्रामीण विकास विभाग,एस0एस0ओ बिल्डिग, शासन सचिवालय,जयपुर

क्रमांक एफ 24(2)/ग्रा.वि./के.भ/गुप–1/2014/पार्ट-II/2020.21 जयपुर दिनांक: 14 JUL 2021

मिटिंग हॉल के रख रखाव / संचालन हेतु बोली (बिड) आमंत्रण सूचना

एन.आई.बी. संख्या–01/2021–22 दिनांक:

1 ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर के विभागीय समिति कक्ष के रख– रखाव एवं संचालन कार्य के उपापन (Procurement) के लिये निम्न संलग्न कार्य विवरणानुसार सील बन्द लिफाफे में बोली (बिड) आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित वार्षिक लागत	बोली प्रतिभूति	बोली दस्तावेज शुल्क
1	ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय, उत्तरी पश्चिम भवन जयपुर में स्थित विभागीय मिटिंग हॉल के रख रखाव/ संचालन के अनुबंध हेतु	4.25 लाख	बोली प्रतिभूति घोषणा (8500)	200/–

2 बोली (बिड) दस्तावेज राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट http://sppp.raj.nic.in पर या विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर देखे/प्राप्त किये जा सकते है। बोली दस्तावेज उक्त वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है या ग्रामीण विकास् कार्यालय में निर्धारित फीस रूपये 200/– नकद, बैंकर्स चैक या बैंक ड्राफ्ट के जरिये जमा कराकर बोली प्रस्तुत करने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है। वेबसाईट से डाउनलोड बोली दस्तावेज के लिये भी निर्धारित फीस बोली प्रस्तुत करने से पूर्व जमा कराने पर ही बोली स्वीकार्य होगी।

3 बोली (बिड) के समस्त पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या डाली जाकर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर निर्धारित प्रतिभूति के साथ सील बन्द लिफाफे में दिनांक 22.07.2021 को अपरान्ह 12.00 बजे तक परियोजना अधिकारी(प्रशासन) कमरा नम्बर 8104 प्रथम तल उत्तर–पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को व्यक्तिशः या जरिये डाक प्रस्तुत की जा सकती है। बोली (बिड) लिफाफे पर **"एनआईबी संख्या. 1 विभागीय मिटिंग हॉल का रख–रखाव/ संचालन कार्य के लिये बोली(बिड) "** एवं **"दिनांक 22.07.2021 समय 3.00 बजे से पूर्व नहीं खोला जावे"** लिखा जाकर बोली (बिड) प्रस्तुत की जावे।

4 बोली (बिड) के साथ अनुमानित वार्षिक लागत की 2 प्रतिशत के सम्बंध में बोली प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत की जावें। इसके अभाव में बोली (बिड) पर विचार नहीं किया जावेगा।

5 निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त बोली (बिड) स्वीकार्य नहीं होगी एवं बिना खोले ही वापस लोटा दी जावेगी।

6 निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त बोली (बिड) दिनांक 22.07.2021 को सांय 3.00 बजे समिति कक्ष कमरा नम्बर 8124 प्रथम तल, उत्तर–पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में उपस्थित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जावेगी।

7 उपापन संस्था न्यूनतम बोली (बिड) को ही स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है। किसी भी बोली या उसके किसी भी भाग या सभी बोलियों को बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है।

8 बोलीदाता को आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड एवं GST पंजियन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रस्तुत करना होगा। पंजिकृत फर्म की ही निविदा स्वीकार की जावेगी।

9 सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित किया जा सकेगा, जो वार्षिक कार्य लागत का 2.5% होगी, उक्त राशि अनुबंध पत्र निष्पादन के समय जमा कराई जानी आवश्यक होगी।

10 मिटिंग हॉल का रख–रखाव/संचालन कार्य के लिये बोली(बिड) दाता अपनी दरों में GST को सम्मिलित करते हुए दरें प्रस्तुत करें एवं GST की दरों का पृथक से भी उल्लेख करें।

शासन उप सचिव(प्रशासन)
(एस.एस.ओ. बिल्डिंग)
शासन सचिवालय, जयपुर

Rural Development Department

North-West Building (SSO Building), Government Secretariate
JAIPUR - 302005

i. Bid for:- मिटिंग हॉल के रख रखाव / संचालन हेतु

ii. Information of the firm/Bidder

1	Name of the firm/Bidder	Information Required	Document enclosed
2	Postal address		
3	Telephone Nos.		
4	Firm/Company Registration		
5	Fax No s.		
6	Email		
7	Name of Person to be Contacted		
	Telephone No.		
	Mobile No.	Residence:	
8	PAN No	Office:	
9	GST Registration No	Mobile:	

iii. Address to (Procurring Entity) Deputy.Secy. R.D.D. Room No. 8104, S.S.O. Building, Sectt., Jaipur,

iv. NIB reference No.01/2021-22 F24(2)/RD/KB/Store/2014-Part-II/2020-21 Dated 22.07.2021 Last date of submitting tender 22.07.2021 upto 12.00 PM.

vi. The Bid document fee amounting to Rs. 200/- has been deposited vide cash receipt No.............. Dated............... or DD/BC/BG No............... Dated............Amount........... Bank................

vii. We agree to abide by all the conditions mentioned in the above Bid notice issued by the tendering authority and also the general conditions of the said Bid notice given in the attached sheets (all the page of which have been signed by us in acceptance of the terms & conditions mentioned there in).

viii. The successful Bidder is required to execute agreement with Deputy Secy.(admn.) R.D.D. on Non Judicial Stamp paper worth Rs. 500/-.

ix. Copy of two years experience certificate enclosed.

Signatures of Bidder

CHECK LIST

Bidder is required to furnish the following information:

S. No	Particulars	Enclosed Yes/No	Details (DD/ Cash Receipt No., Date & Amount etc.)	Page No.	Remarks
1	Earnest money of Rs. 8500/- (बोली प्रतिभूति घोषणा) if yes, furnish details				
2	Bid documents (in original)				
3	Terms & Condition duly signed or not?				
4	Lists/ documents enclosed				
5	Firm/Company Registrations				
5	PAN No.				
6	GST Registration No.				
7	Others specify				

Note: - Please fillup the PAN No, GST No and other applicable information in the relevant columns.

Signature of Bidder

मिटिंग हॉल के अनुबन्ध के लिए बोली (बिड) की सामान्य शर्ते एवं निर्देश

टिप्पणी : बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोली प्रस्तुत करते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बोली (बिड) को एनआईबी में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. "वास्तविक सेवा दाताओं द्वारा बोली (बिड)": – निविदाएँ वास्तविक सेवादाताओं द्वारा ही दी जावेगी। इस संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
4. **जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र :–** कोई भी डीलर/सेवा दाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तो GST पंजीयन संख्या का उल्लेख करें (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)।
5. बोली (बिड) प्रारूप स्याही/बाल पेन से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता बोली (बिड) के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली (बिड) के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में GST की राशि को सम्मिलित करते हुये तथा पृथक से GST की राशि का अकंन करें।
7. सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े पर नहीं देगा।
8. अनुबन्ध/सेवा हेतु संविदा को, यदि सेवा अनुबन्धकर्ता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद अनुबन्धकर्ता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता है। वह इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
9. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
10. यदि सेवा प्राप्तकर्ता किन्हीं निविदत्त सेवाओं को प्राप्त नहीं करता है या बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में प्राप्त करता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
11. **बोली प्रतिभूति** (Bid Security) **:– (क) बोली (बिड) के साथ** बोली प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

    (ख) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई **बोली प्रतिभूति** प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

    (ग) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोलियों के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा **बोली प्रतिभूति**/प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोलियों के लिए **बोली प्रतिभूति** /प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

12. **बोली प्रतिभूति का समपहरण :– बोली प्रतिभूति** को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा।

(i) जब बोलीदाता बोली (बिड) खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को,यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब बोलीदाता हॉल का रख रखाव उपलब्ध कराने के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति (Security) राशि जमा नहीं कराता है।

(vi) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्ध आदेश के अनुसार मदों का सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

13. (1) **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप : –**

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सेवाओं के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत के बराबर की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से, जिसको बोली (बिड) के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) बोली के समय जमा करायी गयी **बोली प्रतिभूति** को कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में **बोली प्रतिभूति** से कम की नहीं होगी।

(iii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि नकद अथवा "**आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर**" के नाम बैंक ड्राफ्ट,बैंकर्स चैक, भारतीय सिड्यूल बैंक की बैंक गारण्टी अथवा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान अनुसार अन्य निक्षेपो में जमा कराई जा सकती है।

(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगाः

(अ) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा/अनुबन्ध संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

14. करार (अनुबन्ध) की अवधि एक वर्ष रहेगी जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार और बढाया जा सकता है।

15. **भुगतान : –**

(i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा/अनुबन्ध के लिए प्रत्येक माह के भुगतान हेतु बोलीदाता द्वारा सेवा अनुबन्ध कर्ता अधिकारी को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विवादास्पद स्थिति के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उपयुक्त शास्ति उपरान्त उसका भुगतान कर दिया जाएगा। शास्ति का निर्धारण क्रय समिति करेगी।

16. (i) बोली दस्तावेज प्रपत्र में दर्शाये उपकरणो के रख रखाव के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता अनुबन्ध कर्ता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित कार्य सम्पन करने होगें।

(ii) **परिसमापित नुकसानी** :– बोली दस्तावेज प्रपत्र की विशेष शर्तो में अंकितानुसार परिसमापित नुकसानी की दरें प्रभावी होंगी।

(iii) यदि सेवा/अनुबन्ध किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा/अनुबन्ध को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सेवा पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(iv) यदि सेवा/अनुबन्ध करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सेवा की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

17. **वसूलियाँ**:– परिसमापित नुकसानी, रद्द की गयी सेवाओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। सेवा/अनुबन्ध, रद्द किए गए सेवा/अनुबन्ध की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सेवा प्रदाता संतोषजनक ढंग से सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

18. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा।किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली (बिड) स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

19. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली (बिड) नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली (बिड) को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोलीदाता ने बोली (बिड) दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली (बिड) को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सेवा की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

20. **बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा**:–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

21. प्राप्त बोलिया (बिडस) प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस तक वैध होगी।

22. **कीमते गिरने का खण्ड** : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(2)(ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन दरें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होगी। कीमत गिरने का खण्ड- दर संविदा में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यदि दर संविदाधारक दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत करने या कोट करनें की तारीख से स्वत कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्म को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि समानान्तर संविदा धारक फर्म दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल संविदा धारक फर्म को अपनी कीमते तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा

धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

23. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को शासन सचिव,/विशिष्ट शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान, जयपुर के समक्ष रखा जावेगा और इस विवाद पर वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

24. समस्त विधिक कार्यवाहियॉं, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

25. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित नियम, 2013 में अंकित इस उपापन से सुसंगत सभी प्रावधान एवं शर्ते इस बोली एवं अनुबन्ध के लिए अक्षरशः लागु होगी।

26. ग्रामीण विकास विभाग के मिटिंग हॉल के रख रखाव विडियों कान्फ्रेन्स के संचालन आदि के कार्य के लिए निविदाएं आंमन्त्रित की जाती है।

27. निविदादाता का वार्षिक लेखा जोखा 10.00 लाख रूपये या उससे अधिक होना आवश्यक है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

-: मिटिंग हॉल के रख–रखाव/संचालन हेतु अधिकृत फर्म द्वारा किये जाने वाले कार्यो का विवरण/विभाग की शर्तेः–

मिटिगं हॉल में उपलब्ध सामान का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	यंत्रो का विवरण	सामान की मात्र
1	पंखे	8 नग
2	एयकंडीशनर	5 नग
3	एल. सी.डी. टीवी	4 नग
4	माईक	16 नग
5	एम्पलीफायर	1 नग
6	कोंफ्रेस कन्ट्रोलर बाक्स	1 नग
7	एच.डी.एम.आई. डिक्ट्रीब्यूशन बॉक्स	1 नग
8	एग्जास्ट फैन	2 नग
9	फर्नीचर राउण्ड टेबल बडी	1 नग
10	फर्नीचर राउण्ड टेबल छोटी	1 नग
11	लकडी कुर्सी	50 नग
12	कम्प्यूटर सी.पी.ओ	1 नग
13	कम्प्यूटर सैट	1 नग
14	साईड रैक लकडी	1 नग
15	विडियो कैमरा विद सैटअप बॉक्स	उक्त सामग्री को उपयोग में लिये जाने हेतु अधतन रखना होगा।

1. मिटिंग हॉल के रख– रखाव/ संचालन मय विडियो कोन्फ्रेस के संचालन हेतु इस कार्य के जानकार व्यक्ति की सेवाऐं उपलब्ध कराना होगा जो वीडियो कान्फ्रेस को सुचारू रूप से आयोजित कर सके। फर्म को सभा भवन में स्थापित उपकरणों फर्नीचर आदि के रख रखाव /सर्विस/ रिपेयर कार्य निविदादाता द्वारा किये जायेगें।
2. फर्म को आवश्यकता पडने पर राजकीय अवकाश के दिनों में एवं कार्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात भी तात्कालिन आवश्यकतानुसार मिटिंग हॉल में बैठक, विडियों कॉन्फ्रेन्स हेतु, अन्य राजकीय कार्य हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्था करवानी होगी।
3. फर्म को मिटिंग हॉल के संधारण/संचालन व विडियों कॉन्फ्रेन्स आयोजित करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव वांछनीय है।
4. फर्म को मिटिंग हॉल में बैठक से एक घंटे पूर्व समस्त आवश्यकतोओं यथा माईक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, लाईट पंखे, ए.सी, टृयूब लाईट चालू हालत में तैयार रखने होगे।
5. फर्म को सभी उपकरणें का रख रखाव अध्यतन रखना होगा।
6. फर्म को मिटिंग हॉल के साथ अटैच पेन्ट्री और शौचालय की साफ सफाई एवं यंत्रों का संचालन कराना होगा।
7. समिति कक्ष में उपलब्ध यंत्रो का संचालन एवं खराब होने पर सही कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
8. अनुबन्ध समाप्त होने पर मिटिंग हॉल के सभी उपकरण चालू/ सही हालत में विभाग को सम्हलाना होगा। यदि कोई टूट–फूट या क्षति होती है तो निविदादाता स्वंय के व्यय से मरम्मत आदि कार्य पूर्ण करेगा।

<u>निविदा प्रपत्र</u>

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
शासन सचिवालय, उत्तरी पश्चिमी भवन

1.विभागीय समिति कक्ष एवं स्थापित सामग्री की वार्षिक रख रखाव हेतु निविदा।

2.निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :– ....

फर्म का पूरा पता :– ....

....

दूरभाष नम्बर :– ....

3.निविदा शुल्क 200/– रूपये नकद रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा करायी गई है।

4.बोली प्रतिभूति घोषणा.................... संलग्न है।

5.हमने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी की गयी उक्त कार्य हेतु निविदा सूचना में वर्णित समस्त शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है।

6. <u>दर – तालिका</u>

निविदा वार्षिक दर अंको में	वार्षिक दर शब्दों में	GST की दर व राशि	कुल निविदा दर अंको व शब्दों में

7.समिति कक्ष के सभी कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स नेटवर्क से जुडे हुये है अतः नेटवर्क की मरम्मत/ रख रखाव भी उक्त दरों में शामिल है।

8.GST रजिस्टेशन व मैन पॉवर रजिस्टेशन की छाया प्रति एवं अन्तिम इन्कमटैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट संलग्न करे।

9.यदि विनिर्माता है अथवा डीलरशिप है तो उसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

10.समिति कक्ष, किचन एवं वॉशरूम की बैठक पूर्व एवं पश्चात सफाई होनी आवश्यक है।

11.समिति कक्ष में स्थापित यंत्रों को संचालित करने एवं रख रखाव की पूर्ण व्यवस्था करनी होगी।

12.अवकाश के दिन बैठक हाने पर फर्म को सेवायें उपलब्ध करानी होगी।

13.फर्म द्वारा वर्तमान में अथवा पिछले वर्षो में किस– किस विभाग/कारपोरेशन/संस्था में रखरखाव का कार्य किया है अथवा कर रहे है उनकी सूची भी संलग्न की जावें।

14.समिति कक्ष में स्थापित ट्यूबलाईट,पंखे की रिपेर्यर कार्य निविदादाता द्वारा कराया जावेंगा।

फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर मय मोहर